

सचिका सं०-7/बजट-46-36/2024-25 - 506 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

रोवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 13/03/2025

विषय:- बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी में 50 शैया के नये अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 22,19,50,000/- (रुपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-3773, दिनांक-02.08.2024 द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी में 50 शैया के नये अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 22,19,50,000/- (रुपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-463(7) दिनांक-03.03.2025 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- तदनुसार बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी में 50 शैया के नये अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 22,19,50,000/- (रुपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

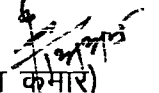
3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-463(7), दिनांक-03.03.2025 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

4- उक्त कार्य मांग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष-0113-जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार विपत्र कोड-20-4210011100113, विषय शीर्ष-(53-01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

5- इस राशि के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

- 6- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं०-PBBPI.A007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।
- 7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुरंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 8- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना रो की जायेगी।
- 10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- 11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं० सं०- 7/बजट-46-36/2024-25 के पृष्ठ-13/टि० पर प्राप्त है।
- 12- यह मात्र व्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।
- 13- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

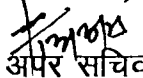

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक - 506 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक-13/03/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव- सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।